

‘राजभाषा’ का इतिहास एवं विकास

डॉ मनोज कुमार शर्मा

प्रवक्ता (हिन्दी विभाग)

सत्यपाल सिंह महाविद्यालय नवादा इंदौर- शाहजहांपुर।

सार

हमारा देश भारत विभिन्न संस्कृति एवं सभ्यता वाला देश रहा है। यहाँ पर हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जातियों के लोग निवास करते हैं। प्राचीन काल में तो भारत में शक, हूण तथा फिर बाद में मुसलमानों ने शासन किया है। जब एक ही देश में विभिन्न देशों के लोग बसेंगे तो उनकी बोली-भाषा तथा संस्कृति में भी भिन्नता होगी। प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक भारत में कई आक्रमण हुए, लेकिन अंग्रेजों को छोड़कर लगभग सभी यहीं के होकर रह गये। भारतीय सभ्यता को अपना लिया। उसमें रच-बस गये। इसके साथ ही साथ यहाँ की बोली-भाषा को भी अपना लिया।

परिचय

इतिहास ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में राजभाषा के रूप में हिन्दी का इतिहास अति प्राचीन है। आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो राजभाषा का अर्थ खड़ी बोली हिन्दी में निहित है। राजभाषा के रूप में हिन्दी का उदय तो ‘14 सितम्बर 1949’ को हुआ है, जबकि इस दायित्व का निर्वाह हिन्दी बहुत पहले से करती आ रही है तथा यह भी कहा जा सकता है कि हिन्दी पिछले सैकड़ों वर्षों से राज-काज की भाषा रही है।

प्रो० (डॉ०) सूर्यप्रसाद दीक्षित के अनुसार राजभाषा के रूप में हिन्दी की ऐतिहासिक परम्परा बहुत प्राचीन नहीं है। यह जरूर है कि खड़ी बोली राजभाषा के रूप में जानी जाती है, परन्तु राजभाषा के रूप निश्चित की है, उस पर ध्यान केन्द्रित करना समीचीन होगा। (1)

विदेशी आक्रमणकारियों तथा मध्यदेशीय भारतीय शासकों की राजकाज की भाषा विविध रूपों में हिन्दी ही रही है। ये शासक आपसी मेलजोल तथा राजकीय कार्यों के मध्य हिन्दी को ही सम्प्रेषणी भाषा बनाते थे।

भारत छोटे-छोटे राज्यों में बँटा रहा है। जिसके कारण ही विदेशी शासकों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। शुरु में तो ये शासक अपनी आपसी बोल-चाल की भाषा को प्रशासकीय कार्यों में थोपने का काम करते थे, किन्तु अन्ततोगत्वा उन्हें हिन्दी ही स्वीकारनी पड़ती थी। इसकी खास वजह यह थी कि यही भारत के सर्वसमाज के समझ की भाषा थी। दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान, बुंदेलखण्ड के कीर्ति वर्मा, अजमेर के शासक हरिराज तथा मेवाड़ों के बीच हिन्दी ही प्रशासनिक भाषा के रूप में उपस्थित थी।

हालाँकि हिन्दी संस्कृतनिष्ठ भाषा थी, लेकिन इसमें अरबी-फारसी का प्रभाव भी था, परन्तु भाषा में बहुलता हिन्दी की ही थी। भारत में मुख्य रूप से मुसलमानों एवं अंग्रेजों ने दीर्घकाल तक शासन किया है। इसी आधार पर राजभाषा के इतिहास-विकास का अध्ययन दो भागों में करते हैं –

क) स्वातंत्र्यपूर्व काल

ख) स्वातंत्र्योत्तर काल

दक्षिण में हिन्दी

दक्षिण प्रान्तों से उत्तर भारत का साथ अछूता नहीं रहा। उत्तर से जाने वाले व्यापारियों का दक्षिण में अपना एक विकसित व्यवसाय था। वे वहाँ के लोगों से सीधे जुड़े होते थे। सीधी सी बात है, जब लोगों का आपसी तालमेल है तो वे एक दूसरे की भाषा के जानकार होंगे क्योंकि भाषा ही भावों की अभिव्यक्ति करती है। एक प्रमाण है कि बोलने के साथ-साथ लिखित में भी हिन्दी प्रयुक्त होती थी। वहाँ के राजदरबार में हिन्दी विद्वानों का स्वागत किया जाता था। राजा स्वयं ब्रज, अवधी, तथा दक्खिनी हिन्दी में भक्ति सम्बन्धी कविता करते थे। (2)

तिरुवितांकुर के शासक ‘स्वाति नक्षत्रज राजवर्मा’ थे। इन्होंने हिन्दी में ‘स्वाति तिरुनाल’ की रचना की। इसके साथ साथ ही ‘गर्भ पद श्रीमान’ में पदों को संकलित किया। ये कृष्ण भक्त थे, इनके पदों तथा कीर्तनों में खड़ी बोली एवं ब्रज का सुन्दर प्रयोग किया है। (3)

इनके पद मीराबाई सूरदास आदि की तरह कर्णप्रिय थे।

स्वतन्त्रता की लड़ाई के प्रारम्भिक दिनों में केरल के बहुचर्चित कांग्रेसी नेता कुरुर नीलकण्ठन, नंपूतिरिप्पड़ तथा उनकी पत्नी श्रीमती टी० सी० कोच्चु कुट्टिअम्मा भी हिन्दी के प्रति तत्पर थी। इन्होंने एट्टुमानूर, वैकम, कोट्टय हेरप्पाड़ आदि स्थानों पर हिन्दी प्रचार किया। श्री पी० के० केशवन नायर 1925 को सभा की सेवा में आये तथा चित्तूर, तलरशेरी, कण्णूर, कालिकट, पालपुरम, ओट्टप्पानम तथा पालघाट आदि स्थानों पर सफलतापूर्वक कार्य किया।

चौदहवीं शती में राजनीतिक परिवर्तन की वजह से उत्तर भारत का एक जन समुदाय हैदराबाद में बसा था। (4)

गांधी जी ने अपने पुत्र देवदास को दक्षिण में हिन्दी सिखाने के लिए बतौर अध्यापक भेजा था। मई 1918 के प्रथम सप्ताह में मद्रास के गोरवले हाल में सर्वप्रथम हिन्दी वर्ग शुरू हुआ। देवदास के बाद स्वामी सत्यदेव ने हिन्दी को बढ़ाने के लिए प्रयास किया तथा इन्होंने ‘हिन्दी की पहली पुस्तक’ नामक पुस्तक की रचना की। (5) सन् 1918 से 1927 का हिन्दी प्रचार कार्य ‘सम्मेलन’ शाखा कार्यालय के नाम से हिन्दी साहित्य प्रयाग की देख-रेख में हुआ।

इस प्रकार देखा जाए तो दक्षिण प्रान्तों में हिन्दी के चाहने वालों की कमी नहीं थी। उन्होंने स्वयं आगे आकर इस भाषा का विकास किया। शताब्दियों से हिन्दी सम्पूर्ण भारत की भाषा थी। मुस्लिम साम्राज्य के पतन तथा अंग्रेजी साम्राज्य के उदय के बीच जो संक्रान्ति काल था, उसमें फारसी देश की मुख्य राजभाषा थी। अरबी भी इसी के साथ प्रचलित थी। धर्म तथा अर्थ के कारण ही हिन्दी मुस्लिम काल में अहिन्दी भाषी प्रदेशों में विकसित हुई।

अंग्रेजी शासन काल में हिन्दी

ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन् 1613 ई० को भारत में व्यापार प्रारम्भ किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से ही भारत तेजहीन हो गया। पहले कंपनी का उद्देश्य भारतीय संपदा का दोहन करना था, लेकिन जब उन लोगों ने यहाँ की राजनीति का गहनता के साथ अध्ययन किया तो पाया कि यहाँ के शासक आपसी कलह के शिकार हैं। इन सब परिस्थितियों को देखकर राज्य की लालसा जाग उठी।

सर्वप्रथम कंपनी ने 1765 ई० में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। जिससे कंपनी को नवाब तथा शाह आलम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई।

अंग्रेजों ने जब शासन तंत्र अपने हाथ में लिया तब भी उनकी भाषा में कोई बदलाव नहीं आया। वेलेजली ने कर्मचारियों को जनभाषा का ज्ञान दिलाना आवश्यक समझा, जिसके लिए गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ‘ओरिएंटल सैमिनरी’ की स्थापना की। बाद में यही संस्था ‘फोर्ट विलियम कालेज’ के रूप में परिवर्धित हुई। सन् 1800 से 1854 ई० के बीच कालेज के अध्यापकों ने अनेक भाषाओं में ग्रन्थों की रचना की। ‘हिन्दुस्तानी विभाग’ के प्रथम अध्यक्ष गिलक्राइस्ट थे। (6)

कंपनी ने शासन मुसलमानों से प्राप्त किया था। जिनकी राजभाषा फारसी थी। अंग्रेजों ने सोचा कि यदि जनसामान्य के साथ चलना है तो उनकी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी ने दिल्ली दरबार से एक समझौता किया कि वह बादशाह की तरफ से जो शासन करेगी उसमें फारसी का प्रयोग पूर्ववत् बना रहेगा। (7) जबकि यह कार्य अंग्रेज कर्मचारियों के लिए बहुत आसान नहीं था। गिलक्राइस्ट कृत “हिन्दुस्तानी ग्रामर” (प्रकाशित क्रानिकल प्रेस, कलकत्ता 1796 ई०) से पूर्व कर्कपेट्रिक नामक अंग्रेजी लेखक के कोश में हुये इस अवतरण को देखें – “जो कोई सुबेदार और जमादार और नाएक और जो कोई सिपाही जो कदही कोई बात बे अदबी की के जिसमें कुछ हलकई और बुराई सरदार फौज और जनरैल और गैर हकी होगी अपने मुँह से नीकालेगा सो माफीक अपने कीए और कहे के कोरट माइसल के तजबीब में सजाए पावेगा।”

महाराणा श्री जसवंतराज होल्कर ने फिरंगियों का सामना करने के सम्बन्ध में राजा बख्तावर सिंह को एक पत्र लिखा था जिसका माध्यम हिन्दी था – “श्री रामजी (मुहर) स्वस्त श्री सयच्चेपमा जोग्य राव राजा श्री बख्तावर सींह जोह पुलसकर कामुकाय मेवाड़ प्र० तसु महाराजाधिराज राज राजेश्वर महाराज सुर्दवदा श्री लसवंतराव जी हुलकर अलीजा बहादुर कनवंच। आज का समाचार चलाते राजकासा चला चाही। राज फिरंगी मुकाबला करे सो बात आच्छों काम करे पोरबी जमीन जमा करके हुसर हो। 8 ब्रिटिश शासन काल में भी छोटी-छोटी रियासतों का शासन हिन्दी में ही चलता रहा। इन देसी रियासतों में भी अधिकतर हिन्दी की विभिन्न बोलियाँ ही राजभाषा के रूप में चलती रहीं।

कंपनी सरकार की भाषा नीति खराब थी। वह कर्मचारियों को हिन्दी अपने लाभ की वजह से सिखा रही थी। जनता का प्रेम विश्वास वह जीतना चाहती थी। उन्होंने एक व्यवस्था यह की थी कि जो महत्त्वपूर्ण कानून आदि होते थे तथा जो जनता से सम्बन्धित होते थे और जिनसे उन्हें वित्तीय व प्रशासनिक लाभ निहित होता था, उन कानूनों को वह हिन्दी, फारसी में अनुदित करवाते थे। जनता को विश्वास में लेकर, उनके नजदीक जाते थे और उन्हीं की भाषा में झूठा अपनत्व दिखा कर शोषण करते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में 1785 ई० की एक सरकारी व्यवस्था मिलती है, जिसमें विभिन्न अधिकारियों को नियमों की अनुदित प्रतियाँ देने को कहा है। 9 सरकार का यह उद्देश्य था कि उनकी आवाज आवाम् तक पहुँचाई जाए। कंपनी ने इस कार्य के लिए अनुवादकों की व्यवस्था की थी। इनका कार्य सहज बोलचाल की भाषा में अनुवाद करना था।

कंपनी सरकार का एक फरमान जिसे अनुवादकों द्वारा सरल भाषा में रूपान्तरित करवाया गया – इस आर्डिन के तीन दफे के जिलों के जज साहिब और मजिस्ट्रेट साहिब को लाजिम है कि जिस इस आर्डिन का फारसी या हीदी तरजमा उनके कने पहुँचे तो उनके तई अपनी कचहरियों में पढ़वावे और मशहूर करें और इसी तरह से जिन आर्डिनो ने इस आर्डिन के रु से ऊपर के जिलों में चलन पाई है उनका तरजमा भी पढ़वावे और मशहूर करें।¹⁰ कंपनी सरकार ने इस तरह के कई नियम बनाए, जिनमें शासकीय कार्यों के लिए हिन्दी बाध्यता सुनिश्चित कर दी थी।

न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग किया जाता था। इसका कारण यह था कि यह आम-लोगों के जीवन के फैसेले के लिए बना था। जिसमें हिन्दी का प्रयोग आवश्यक था। लार्ड एम्हर्स्ट ने सन् 1825 ई० में कहा था कि “यदि आप लोग उनकी जबान नहीं बोल पाएँगे तो सरकारी कानून एक मजाक बनकर रह जाएगा। भारतीयों के लिए जितनी कठिन अंग्रेजी है उतनी ही अरबी और फारसी भाषा।”

फारसी भाषा का ज्ञान उस समय कुछ लोगों को होता था। शेष सभी लोग उसे जबरदस्ती ढोते थे। इस भाषा के प्रति आवाम की कोई रुचि नहीं थी। लार्ड एम्हर्स्ट के बयान से लगता है कि वह निजस्वार्थ की वजह से ही सही लेकिन हिन्दी का पक्षधर था। कंपनी सरकार भाषा नीति को लेकर काफी सजग थी, चूँकि वह जानती थी कि जब तक भाषा का सहज बोध नहीं होगा तब तक जनता में पकड़ ढीली ही रहेगी। कंपनी ने कहा कि सन् 1801 से सिविल सर्विसेज में चयन उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जो कंपनी कौंसिल के नियम एवं विधानानुसार भारतीय भाषा ज्ञान की परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर लेता। (11)

मध्यकाल में हिन्दू शासकों में प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग किया है। राजस्थान से सम्बन्धित एक उदाहरण है – इसमें “महाराज उदय करण की तरफ से शक्तावत शम्भू सिंह को विदित हो कि – मैंने गढ़ा जब्त कर था परन्तु अब कृपा करके फिर से प्रदान करता हूँ। उसको आबाद करो और राज के भीतर और बाहिर एक सवार और एक पैदल सिपाही से मेरी चाकरी करो जब बाहिर रहोगे तो तुमको नीचे लिखा भत्ता मिलेगा आटा डेढ़ सेर, दाल डेढ़ सेर, घी दो पैसे भर, घोड़े का दाना 4 सेर, 22 टके भर सेर के हिसाब से रोजना यदि किले की रक्षा के लिए तुम बुलाए जाओ तो तुम अपने समस्त मातहतों समेत आओगे और अपनी स्त्री, कुटुम्ब के लोगों तथा माल असबाब को भी साथ लाओगे जिसके बदले तुम वर्ष तक और कोई पिछली चाकरी करने के लिए मुआफ किए जाओगे।”¹² इसके अतिरिक्त मध्य भारत के दो विशाल राज्य ग्वालियर और इन्दौर में प्रशासनिक काम-काज की भाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी ही थी। मराठा दरबारों में महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक घोषणाएँ, न्यायिक कार्यवाहियाँ आदि का माध्यम हिन्दी ही थी।

कंपनी की निज भाषा अंग्रेजी थी। इसके बावजूद वह हिन्दी भाषा में प्रशासनिक कार्य कर रहे थे। जिसमें उन्हें बहुत कठिनाई होती थी। वह इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने हिन्दी उर्दू हिन्दुस्तानी का झगड़ा उत्पन्न करा दिया था। सन् 1781 में कलकत्ता मदरसा स्कूल तथा सन् 1791 में बनारस संस्कृत कालेज, दोनों ही में हिन्दू व मुस्लिम धर्म शास्त्र सिद्धान्तों के अनुरूप शिक्षा देकर अंग्रेजी की मदद हेतु तैयार करना था। (13) अंग्रेज जानते थे कि भारतीय भाषाओं के जाने बिना टिक पाना मुश्किल कार्य है। इसी कारण उन्होंने अपने हिसाब की शिक्षा पद्धति पर जोर डाला, तथा फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की। लार्ड वेलेजली के फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में एक वक्तव्य है। यह 12 अगस्त 1802 में अपने एक निजी पत्र के माध्यम से डेविड स्कॉट को लिखा था – “दि कालेज मस्ट स्टैण्ड ऑर दी एम्पायर मस्ट कॉल” इसका अर्थ यह है कि ‘कालेज होना चाहिए अन्यथा साम्राज्य का पतन हो जाएगा’। (14)

इस बात से स्पष्ट है कि अंग्रेजों की नीति हिन्दी के प्रति अच्छी नहीं थी। उन्होंने फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना करके अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया।

ऐसा नहीं कि समस्त अंग्रेज अपनी ही भाषा स्थापित करना चाहते थे। लार्ड विलियम वैंटिक, टामस मुनरो आदि सरीखे कुछ उदारवादी अंग्रेजों ने भारतीय भाषाओं का सुधार करना चाहा, लेकिन उसका व्यावहारिक रूप दबा का दबा रह गया। “फोर्ट सेण्ट जार्ज” कालेज की स्थापना भारतीय भाषाओं के विकास के हित के लिए ही की गई थी। सन् 1854 में चार्ल्स वुड शिक्षा योजना गठित कर देशी भाषाओं का विकास किया गया।¹⁵ “बाइबिल” जैसे ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद हुआ तथा लोगों में बाँटा गया। 5 नवम्बर, 1855 ई० को तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी ने सेना के लिए एक विज्ञप्ति निकाली थी जो हिन्दी में थी। इससे स्पष्ट होता है कि अखिल भारतीय भाषा हिन्दी बंगलौर से लाहौर तक प्रयोग की जाती थी।

जब हिन्दी को तत्कालीन राजनेताओं ने कार्यालयी भाषा बनाने का प्रयास किया तभी अंग्रेजी ने उर्दू भाषा को राजभाषा बनाने का झूठा सपना मुस्लिम नेताओं को सुझाया। उनकी यह नीति फूट डालो और राज करो से प्रेरित थी। इसी झांसे में आकर उन्होंने हिन्दी का विरोध जमकर किया। इसी से प्रेरित होकर पंजाबी भाषा को अकाली दल के नेता राजभाषा बनाना चाहते थे। अंग्रेजों ने हिन्दुओं तथा मुसलमानों में भाषिक विभेद पैदा किए थे। सन् 1873 में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की पत्रिका “हरिश्चन्द्र मैगजीन” का प्रकाशन हुआ था। श्री गौरी दत्त ने “देवनागरी भजन की पुस्तक” के माध्यम से कहा कि – “अरे कोई तो बीड़ा उठाओ, देश में नागरी फैलाओ।” (16) यह पुस्तक सन् 1893 में काशी नागरी प्रचारिणी से प्रकाशित हुई थी।

गांधी जी ने भाषानीति पर जमकर काम किया। हिन्दी स्वराज्य के माध्यम से भाषा संबंधी दृष्टिकोण ठोस रूप धारण करने लगा। गांधी जी के विचार बहुत उच्च कोटि थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक मुसलमान तथा हिन्दू को फारसी संस्कृत तथा हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए। वह सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। वे दोनों भाषाओं को बढ़ाना चाहते थे।

भारत सरकार के अथक प्रयास तथा लोगों के भाषा प्रेम ने हिन्दी को नई ऊँचाई में पहुँचा दिया है। विभागों की तरफ से ज्ञापन निकाले जाते हैं, जिनमें भाषा की प्रगति को लेकर चर्चाएँ होती हैं।

आज हिन्दी टी0 वी0, मोबाइल, कम्प्यूटर की भाषा बन गई है। हिन्दी के बहुपयोगी सॉफ्टवेयर बाजार में आ गए हैं। टाटा कन्सल्टेंसी ने एक सॉफ्टवेयर जल्द ही लांच किया है, जिसके माध्यम से बहुत कम समय में अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी सीख सकते हैं। इसी क्रम में, अक्षर, लिपि, सुबोध, मंत्र, गुरु आदि सॉफ्टवेयर आते हैं।

वर्तमान समय में हिन्दी विज्ञापन की भाषा में समाचार पत्रों में अधिकाधिक प्रयोग की जा रही है। कुछ समय पहले तक डिस्कवरी, स्टारमूवी, आदि अनेक टी0वी0 चैनल अंग्रेजी में कार्यक्रम देते थे, लेकिन अब उनकी भाषा हिन्दी हो गयी है। हाल की रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में छपने वाले समाचार पत्रों में हिन्दी समाचार पत्र शीर्ष से सातवें पायदान तक अपनी जगह सुरक्षित किए हुए हैं।

सरकारी दफ्तरों में हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए, इसके लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए गृह मंत्रालय ने नकद पुरस्कार देने की योजना बनाई थी। पूर्व राष्ट्रपति कलाम जी ने इसे प्रोन्नति से जोड़ दिया।

अपने उद्भव काल के पूर्व से स्वातन्त्रयोत्तर तक हिन्दी भाषा ने विकास के ना जाने कितने सोपानों को पार किया है आज संसार की 13 भाषाओं में हिन्दी तीसरे स्थान पर है। आज इसे संसार की अति प्रमुख भाषा माना जा रहा है। हिन्दी जिस दिन पूर्ण रूप से प्रौद्योगिकी से जुड़ जायेगी उस दिन इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा होने का गौरव प्राप्त हो जायेगा।

सन्दर्भ सूची

1. राजभाषा के पचास वर्ष, डॉ0 सूर्यप्रसाद दीक्षित, पृ0 1, स्वाध्याय प्रकाशन, लखनऊ, प्र0 सं0 1999।
2. दक्षिण में हिन्दी प्रचार आन्दोलन का इतिहास, श्री पी0 नारायण ‘नरल’, पृ0 10, हि0 प्र0 सा0 भंडार, प्र0 सं0 1987।
3. केरल की हिन्दी को देन, एन0 वैक्टेस्वरन, हिन्दी आन्दोलन, सं0 लक्ष्मीवर्मा, पृ0 150।
4. प्रयोजनमूलक हिन्दी, विनोद गोदरे, पृ0 30।
5. दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार आन्दोलन का इतिहास, पृ0 14।
6. प्रयोजनपरक हिन्दी, डॉ0 सूर्यप्रसाद दीक्षित, पृ0 22।
7. कचहरी की भाषा और लिपि, प0 चन्द्रवली पाण्डेय, पृ0 23।
8. राजभाषा के पचास वर्ष, प्रो0 सूर्यप्रसाद दीक्षित, पृ0 19–20।
9. कचहरी की भाषा और लिपि, पृ0 23।
10. फोर्ट विलियम कालेज, डॉ0 लक्ष्मीसागर वाष्णीय, पृ0 7, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्र0 सं0 2004।
11. राजभाषा के पचास वर्ष, डॉ0 सूर्यप्रसाद दीक्षित, पृ0 20।
12. प्रयोजनपरक हिन्दी, डॉ0 सूर्यप्रसाद दीक्षित, पृ0 22।
13. फोर्ट विलियम कालेज, पूर्वोक्त, पृ0 17।
14. प्रयोजनपरक हिन्दी, डॉ0 सूर्यप्रसाद दीक्षित, पृ0 22।
15. राजभाषा के पचास वर्ष, डॉ0 सूर्यप्रसाद दीक्षित, पृ0 22।
16. राजभाषा के पचास वर्ष, प्रो0 सूर्यप्रसाद दीक्षित, पृ0 23।